International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709, Print ISSN: 2664-8695
Received: 03-07-2022, Accepted: 17-07-2022, Published: 01-08-2022
Volume 4, Issue 2, 2022, Page No. 6-8

गांधी का स्वाराज एवं सुशासन की अवधारणा

धर्मेन्द्र चौधरी
सहायक आचार्य, हरि दयालु कौशल महाविद्यालय बाड़मेंर, राजस्थान, भारत

सारांश
गांधीजी चाहते थे कि स्वराज का निर्माण सत्य और अहिंसा के आधार पर हो। वे ऐसे स्वराज का सपना देखते थे जो सत्य के रूप में पूर्ण विकेन्द्रीयकरण हो । वर्तमान सुशासन की अवधारणा गांधीजी के स्वराज संबंधी विचारों पर ही आधारित है, क्योंकि गांधीजी के स्वराज में किसी भी प्रकार के लिंग, धर्म, जाति, प्रदेश, रंग, सम्पत्ति की अनुचित असमानताएं नहीं है, इसमें राजनीतिक संस्थाऐं और भूमि जनता की है । इसमें प्रत्येक व्यक्ति सभी स्वतन्त्रताओं का जैसे भाषण, समुदाय, धर्म, व्यवसाय, प्रेस की स्वतन्त्रताओं का उपयोग करता है। इसमें स्वःनियन्त्रित नैतिक प्रतिबन्ध है। इस प्रकार स्वराज में ग्राम और ग्राम समुदाय स्वशासन, स्वावलम्बी और अपने आप में पूर्ण है । सुशासन का मुख्य उद्देश्य भी समाज का विकास एवं समाज को स्वतन्त्र रूप से सहायता प्रदान करना है। गांधीजी के स्वराज की अवधारणा की तरह ही सुशासन में जनता के मूल्यों का समान, जनता के प्रति सेवाभाव, उत्तरदायित्वपूर्ण एवं कार्यकुशल राजनीतिक सत्ता, पारदर्शी न्याय व्यवस्था आदि विचारों की प्रधानता रही है।

मूल शब्दः स्वराज, सुशासन, स्वालम्बन, विकेन्द्रीयकरण ।

प्रस्तावना

गांधी का स्वराज एवं सुशासन की अवधारणा

गांधी न केवल राजनीतिक दार्शनिक थे अपितु सच्चे कर्मयोगी और सन्त प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञ भी थे। जॉन बी. बोदुंरा के शब्दों में वे राजनीतिक कार्यकर्ता और व्यवहारिक दार्शनिक थे। वे सिद्धान्त निर्माता नहीं थे। गांधी, मार्क्स की तरह राज्य विहिन, वर्ग विहिन समाज की कल्पना करते है ''जिसमें कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई राज्य ही नहीं होगा।'' गांधी न तो राज्य को ईश्वर की निरपेक्ष सम्प्रभुता मानते है और न ही अराजकतावादियों की तरह राज्य को पूर्णतः समाप्त करना चाहते हैं, परन्तु इतना अवश्य है कि गांधी अराजकतावादियों की तरह राज्य की बढ़ती हुई शक्ति को भय से देखते हैं और व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता देना चाहते हैं। गांधी वस्तुतः समन्वयवादी विचार रखते है, जो पश्चिमी राजनीतिक बहुलवाद के समीप है, जिनका समर्थन इंग्लैण्ड में डॉ. जे.एन. फिगिस, ए.डी. लिडसे तथा हेरोल्ड जे. लास्की, फ्रांस के डिग्विट और कार्वे करते है। इनके विचार को रूसों की ''सामान्य इच्छा'' के सिद्धान्त से भी भिन्न माना जा सकता है, क्योंकि इनके अनुसार प्रभुत्व शक्ति मात्र जनता की इच्छाओं पर नहीं, उनकी नैतिक शक्ति पर आश्रित है ।

गांधी ने अपने आदर्श राज्य को सर्वोदय के सिद्धान्त के आधार पर प्रस्तुत किया है, उन्होंने रस्किन की पुस्तक से सर्वोदय के विचार को अंगीकृत कर एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। उनका मानना है कि सर्वोदय एक जीवनव्यापी क्रान्ति है, जो समाज की सभी विषमताओं को समाप्त करने का आधार बन सकती है। ऐसी क्रान्ति अहिंसा और सत्य के द्वारा ही सम्भव है और इसलिए सर्वोदय इन्हीं को प्रतिपादित करता है। सर्वोदय में आत्मनिर्भरता का भाव भी निहित है और इसलिए सादगी और सरल जीवन विकेन्द्रीकरण, स्वावलम्बन और सहयोग के माध्यम से एक आदर्श राज्य अर्थात् रामराज्य की स्थापना हो सकती है।

स्वराज का अर्थः स्वराज दो शब्दों से मिलकर बना है। –स्वराज। जिसमें ''स्व'' का अर्थ होता है, स्वयं का व ''राज'' का अर्थ होता है शासन इसलिए स्वराज का सामान्य अर्थ होता है ''स्वयं का शासन।'' गांधीजी मानते थे कि स्वराज शब्द इतना व्यापक है कि इसकी सही–सही परिभाषा असम्भव है। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ–साथ और भी बातें आ जाती है। इसे अर्थ व परिभाषा के घेरे में बांधना इसके दृष्टिकोण को संकीर्ण बनाना होगा और जो कुछ असीम है उसे सीमित कर देना होगा।

सामान्यतः यहाँ स्वराज के निम्न अर्थ देखे जा सकते हैं

- गांधीजी स्वराज को केवल राजनीतिक अवधारणा नहीं मानते हैं। उनके अनुसार यह एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ है आत्म शासन और आत्म संयम
- स्वराज से अभिप्राय है– लोक सम्मति से होने वाला भारत वर्ष का शासन ।
- स्वराज का मूल अर्थ स्वशासन है इसलिए इसे अनुशासित शासन जो कि अन्तर आत्मा से अनुशासित है, की संज्ञा दी जा सकती है।
- स्वराज एक स्वनियंत्रण है और इस स्वतन्त्रता का अर्थ अनियन्त्रित स्वतन्त्रता कदापि नहीं है।

- उपनिवेश की स्थिति में स्वराज का अर्थ है कि हम अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्रता की घोषणा कर दें। जब तक हममें वह क्षमता पैदा नहीं होती है तब तक स्वराज निरर्थक है। यही इस शब्द का न्यूनतम अर्थ है। यह स्वतन्त्रता व्यक्तिया हिस्सेदारी है।
- 1925 में गांधीजी ने लिखा– "भारत के स्वराज का अर्थ है, भारतीय लोगों की सहमति से बनी सरकार, जो भारत की वयस्क जनता का एक हिस्सा है। चाहें स्त्री हो या पुरुष, जिन्होंने शारीरिक श्रम द्वारा राज्य में अपना योगदान दिया हो, जिनके नाम मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड हो। दूसरे शब्दों में जनता को इस अर्थ में शिक्षित करना कि वे सत्ता को नियंत्रित व व्यवस्थापित करने की क्षमता पैदा कर सके।

इस प्रकार स्पष्ट है कि स्वराज के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन अपने सबसे महत्वपूर्ण अर्थ में यह मनुष्य को अपने अंतःकरण की आवाज से नैतिक सिद्धांतों पर नैतिक मूल्यों को साथ लेकर सत्य के मार्ग पर चलने की घोषणा है।

स्वराज की अवधारणा

गांधीजी का स्वराज विचार सर्वोदय आदर्श के निकट है। जब तक व्यक्ति का आध्यात्मिक, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रों में विकास नहीं होगा तब तक स्वराज सम्भव नहीं। गांधीजी जब राष्ट्र के लिये स्वराज का विचार प्रस्तुत करते हैं तो इसका तात्पर्य यही है कि व्यक्ति को हिंसा, पाप, भय, आलस्य, ईर्ष्या आदि से मुक्ति मिले और पृथ्वी पर साधुता का शासन हो। इसकी व्याख्या गांधीजी ने इन शब्दों में की है– उच्च नैतिक शक्ति पर आधारित व्यक्ति की सम्प्रभुता । वह आत्मशासन व आत्मनियन्त्रण से ही सम्भव है। साथ ही राज्य का कर्तव्य हैं कि वह व्यक्ति विकास में सहायक है।

गांधीजी स्वराज के लिये शहरों की अपेक्षा गांवों की उन्नति की स्थापना करना चाहते थे। उनका मानना था कि जिस दिन गाँव से गरीबी चली जायेगी उस दिन सम्पूर्ण भारत में स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अतः स्वराज का सूत्रपात गांवों से होना चाहिए। गांवों में पंचायतीराज होना चाहिए, ताकि गाँव के लोग अपना शासन स्वयं कर सके। स्वावलंबन गांधी चिन्तन का मूल मंत्र है इसलिए उन्होंने प्रत्येक गाँव में उद्योग धंधो को चलाने पर बल दिया। उनके अनुसार, अगर गाँव की समस्त आधारभूत आवश्यकताएं गांवों में ही पूरी हो जाएं और वे आत्मनिर्भर हो जाएं तो स्वराज प्राप्त हो सकता है। इस आत्मनिर्भरता के लिए प्रत्येक परिवार को खादी की कताई बुनाई द्वारा स्वावलम्बन प्राप्त करने पर गांधीजी बल देते है। स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित करने पर हम यह पाते हैं कि गांधीजी सभी नागरिको का यह अधिकार समान रूप से मानते हैं कि वे शासन कर सके और असमानता के रहते ऐसा करना सम्भव नहीं है अगर स्वशासन के बिना राष्ट्रीय स्वाधीनता मिलती है तो वह अधूरी है।

गांधीजी ने स्वराज को सर्वाधिक बुनियादी रूप में साधन एवं साध्य दोनों ही स्तरों पर प्रतिपादित किया। इसलिये गांधी दर्शन में स्वराज का क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना ''सर्वोदय'' का। गांधीजी का स्वराज एक सम्पूर्ण विचार है, मात्र राजनीतिक स्वाधीनता नहीं। गांधीजी ने इसके अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि सभी पहलुओं को शामिल किया है। गांधीजी द्वारा प्रतिपादित स्वराज की अवधारणा के तीन मुख्य तत्व हैं प्रथम–गांधीजी ने व्यक्ति की स्वतन्त्रता की बात पर बल दिया है न कि सामूहिक स्वतन्त्रता पर द्वितीय स्वतन्त्रता का आधार अहिंसा है। अहिंसा के बिना स्वराज की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तृतीय–सत्य जो सभी धर्मों, नैतिकताओं, सामाजिकताओं से ऊपर है जो सर्वत्र विद्यमान है जो समस्त विनाश और परिवर्तन से परे है। हम सत्य, अहिंसा, ईश्वर में जीवन्त विश्वास के बिना राजनीतिक, आर्थिक स्वतन्त्रता तथा नैतिक व सामाजिक विकास प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

सुशासन की अवधारणा

सुशासन की अवधारणा का विकास कौटिल्य, अरस्तु तथा प्लेटों के दर्शनशास्त्र में देखा जा सकता है, परन्तु आधुनिक लोक प्रशासन की शब्दावली में ये शब्द 1990 के दशक में प्रविष्ट हुआ। 1994 में विश्व बैंक ने सुशासन के अभिप्राय को इस प्रकार व्यक्त किया था –सुशासन भविष्यवाणी योग्य, खुला और प्रबुद्ध, नीति–निर्माण एवं नौकरशाही जो व्यावसायिक गुणों से लबरेज है, एक कार्यपालिका जो अपने कार्यों में भाग लेता है। खास बात ये है कि ये सभी विधि के शासन में अपना कार्य करते है।

शासन में सरकार की योजना बनाने, नीतियों का निर्माण तथा क्रियान्विति करने की क्षमता समाविष्ट होती है तथा साथ–साथ इसमें सरकार की कार्यविधि तथा समाज की उद्गामी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी समाविष्ट होती है। शासन की संरचना तथा प्रक्रिया में शासन करने के लिए सरकार के द्वारा संस्थानों का उपयोग के साथ सुशासन के प्रति उन्नति तथा इसमें भाग लेने के लिए शासित अधिकार तथा जिम्मेदारियाँ, कल्याणकारी राज्य के सिद्धान्त, कानून जो हमारे नागरिकों के कल्याण व प्रगति के विकेन्द्रीयकरण और आधारभूत एवं मूल अधिकारों इत्यादि के अनुभव को समर्थ बनाता है। सुशासन का उद्देश्य है विकास एवं समाज को स्वतन्त्र रूप से सहायता प्रदान करना। सुशासन संसदीय लोकतंत्र के ढ़ाँचे में लोगों की सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक जीवन को बदलने का भी प्रयत्न करता है, समयानुसार सुशासन की परिभाषा विस्तृत होती चली गई। संक्षेप में कहा जा सकता है कि सुशासन से आशय जनता के प्रति उत्तरदायी उस शासन व्यवस्था से है, जिसमें निम्नलिखित पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है

- उत्तरदायित्वपूर्ण एवं कार्यकुशल राजनीतिक सत्ता
- सत्ता द्वारा देश के आर्थिक व सामाजिक संसाधनों का उचित प्रबन्ध
- लोकतान्त्रिक मूल्यों का सम्मान
- प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व
- प्रशासन में सहभागिता
- जनता के प्रति सेवा का भाव
- मानव अधिकारों में आस्था एवं उनके क्रियान्वयन के प्रति झुकाव ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सुशासन में निम्न आठ विशेषताएँ होती है

1. विधि का शासन
2. समानता एवं समावेशन
3. भागीदारी
4. अनुक्रियता
5. बहुमत मतैक्य
6. प्रभावशीलता दक्षता
7. पारदर्शिता
8. उत्तरदायित्व

सुशासन तभी सुशासन है, जब इसमें सभी नागरिकों के हितों का ध्यान रखा जाता हो। यह तभी संभव है जब सरकार गरीबों, बच्चों, वृद्धजनों, महिलाओं आदि के अधिकारों की रक्षा करें और इनके कल्याण के लिए भी विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित करें।

सुशासन व स्वराज्य में तुलनात्मक सम्बन्ध

गांधीजी के स्वराज की अवधारणा व सुशासन दोनों का अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि गांधीजी एक स्वराज की स्थापना जिन आदर्शों पर करना चाहते थे, उन आदर्शों के माध्यम से वर्तमान में सुशासन की स्थापना भी की जा सकती है। गांधीजी अपने स्वराज में लिंग, धर्म, जाति, प्रदेश, रंग, सम्पत्ति की अनुचित असमानताओं को समाप्त करना चाहते थे, अर्थात् समाज की विषमताओं को दूर करना चाहते थे। वे जाति विहिन, वर्ग विहिन समाज की स्थापना पर जोर देते है। यह सब केवल प्रशासन में जनता की सहभागिता व प्रशासन का जनता के प्रति उत्तरदायित्व से प्राप्त किया जा सकता है, तब ही वहाँ सच्चे अर्थों में सुशासन एवं गांधीजी के स्वराज के सपने को साकार होता हुआ देखा जा सकता है।

गांधीजी के द्वारा स्वराज की जो विशेषताएं बतायी गयी थी, वे सभी सुशासन के तथ्यों में सम्मिलित है, जैसे की जनशक्ति पर आधारित जनतान्त्रिक शासन प्रणाली, राज्य की लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली का आधार विकेन्द्रीयकरण, पंथ निरपेक्ष राज्य, लोककल्याणकारी राज्य, विधि का शासन, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्यों का सम्मान आदि। सुशासन एक सन्तुलित शासन परीक्षण होता है, जिसमें सरकार निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों तथा सहकारिताओं के बीच सांमजस्यपूर्ण अन्तरसंबंध होता है। निजी क्षेत्र एवं सरकार के बीच अन्तरापृष्ठ शासन की जिम्मेदारी को साझा करने तथा लोकहितों की सुरक्षा करने के लिए सहायक होगा। शक्ति का विकेन्द्रीयकरण निर्णय–निर्माण प्रक्रिया में केवल अनावश्यक विलम्ब कम ही नहीं करेगा बल्कि सरकार तथा अधिकारी तन्त्र और भी जवाबदेह बनायेगा। वर्तमान में सरकार को जनता के लिए कुशल एवं प्रभावी सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जागरूक नागरिक वर्ग सरकार की सेवा सुपुर्दगी में अहम भूमिका निभा सकता है और उस स्थिति में वास्तविक अर्थों में सुशासन की स्थापना हो सकती है। गाँधीजी के स्वराज की अवधारणा व वर्तमान सुशासन दोनों काफी हद तक एक दूसरे से अन्तरसम्बन्धित है।

संदर्भ सूची

1. बोन्टूरा, जॉन वी., कन्फ्यूस्ट ऑफ बोलेन्स दी गांधीयन फिलोसफी ऑफ कान्फलेक्ट, युनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस, 1967, पृष्ठ संख्या 0.7
2. सम्पूर्ण गांधी वाग्मय, खण्ड 47, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 104
3. सम्पूर्ण गांधी वाग्मय, खण्ड 47, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 394
4. दाधीच, नरेश, महात्मा गांधी का चिन्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2014, पृ.सं. 141
5. यंग इण्डिया, भाग–3, पृ. सं. 25
6. बोस, निर्मल कुमार, स्टडीज इन गांधीजी, इंडियन एसोसिएटेड पब्लिशिंग, कलकता, 1947, पृ.सं. 65
7. दुबे, डॉ. अखिलेश्वर प्रसाद, गांधी दर्शन की रूपरेखा, नार्दर्न बुक सेन्टर, नई दिल्ली, 2003, पृ.सं. 78 यादव, डॉ. डी. एस., राजनीतिक सिद्धान्त और विचार,
8. रजत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2010, पृ.सं. 57.
9. दाधीच, नरेश, महात्मा गांधी का चिन्तन, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 2014, पृ.सं. 144
10. books.google.co.in लोक प्रशासन सामाजिक विज्ञानों से सम्बन्ध